

ब्रीफ न्यूज

कलेक्टर ने कंट्रोल रूम में उपस्थित न होने वालों को दिया नोटिस

रीवा, स्वतंत्रमत। कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ आपदा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम में तैनात होने के आदेश का उल्लंघन करने पर कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। इनके द्वारा कंट्रोल रूम में उपस्थिति न देकर आदेश की अवहेलना करने तथा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत नोटिस दिया गया है। कलेक्टर ने सहायक मानचित्रकार घनश्याम शुक्ला, सहायक ग्रेड तीन पवन चौधरी, फोटोकोपियर रामचन्द्र प्रसाद, चैनमैन चन्द्रमणि सेन, सहायक वर्ग तीन मयंक पटेल तथा अनुरेखक कृष्णधर द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने तथा 24 घंटे की समय सीमा में उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने 6 अधिकारियों को दिया नोटिस

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सीएमओ गोविंदगढ़ को जन्म प्रमाण पत्र न देने तथा सिविल सर्जन डॉ प्रतिभा मिश्रा को आवेदक की आयु का चिकित्सकीय सत्यापन न करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने सीएमओ सेमरिया सुषमा मिश्रा को समय सीमा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी न करने तथा सीएमओ त्योंथर अजय कुमार पाण्डेय को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि जारी न करने पर नोटिस दिया है। जेई श्रीमती शीका तिवारी को मीटर संबंधी शिकायत का निराकरण न करने तथा सीएमओ मनगवां हेमंत त्रिपाठी को समय पर नल कनेक्शन न देने पर नोटिस दिया है।

प्रधानमंत्री का वीजा निरस्त करे गृह मंत्रालय: शिव सिंह

रीवा, स्वतंत्रमत। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण मामले पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शिव सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग का यह असंवैधानिक कदम बीजेपी सरकार से प्रेरित है।

निर्वाचन आयोग का यह कहना कि आधार कार्ड एवं वोटर आईडी को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है जबकि वोटर आईडी कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा स्वयं जारी किए जाते हैं। एडवोकेट शिव सिंह ने यह भी कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव को टारगेट कर



भाजपा के इशारे पर निर्वाचन आयोग लोकतंत्र की जड़ें काटने का काम कर रहा है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मामले की प्रारंभिक सुनवाई में ही स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम है निर्वाचन आयोग का नहीं। श्री सिंह ने यह भी कहा कि गृह मंत्रालय स्पष्ट करे कि वीजा प्रमाण पत्र के लिए यदि आधार कार्ड एवं वोटर आईडी वैधानिक दस्तावेज नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों के वीजा प्रमाण पत्र में संलग्न दस्तावेजों की जांच कराकर सबसे पहले प्रधानमंत्री एवं उनके अन्य मंत्रियों के वीजा प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय निरस्त करे।

तेली घनी बोर्ड के विधानसभा प्रभारी बने बंसीलाल साहू

रीवा, स्वतंत्रमत। तेली घनी बोर्ड के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री रविकरण साहू ने रीवा के युवा समाजसेवी बंसीलाल साहू पिता स्वर्गीय संपत साहू को तेली घनी बोर्ड रीवा विधानसभा प्रभारी बनाया है। तेलघानी बोर्ड मध्यप्रदेश शासन बोर्ड के कार्यों के विस्तार हेतु संपूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा प्रतिनिधियों की नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिसमें विधानसभा प्रतिनिधियों की भूमिका तेलघानी बोर्ड के कार्यों को विधानसभा स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने और समाज के विभिन्न वर्गों तक लाभ पहुंचाने के लिए विधानसभा प्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इस कारण विधानसभा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है। जिसे बंसीलाल साहू के शुभचिंतकों ने शाल श्रीफल भेंट कर उन्हें 'बधाई एवं शुभकामनाएं' दी। इस दौरान जगन्नाथ साहू, गुलाब गोलाहनी, राजीव तिवारी, कमलेश सचदेवा, संजोव गुप्ता, उपदेश पंसारी, अतुल जैन, नरेंद्र गुप्ता, परमजीत सिंह डंग, सीमा श्रीवास्तव, प्रकाश सोनी आदि लोगों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।



जेई के तानाशाही रवैये से सैनिक को नहीं मिल रहा बिजली का कनेक्शन

नजराना की राशि नहीं मिलने पर बना दिया गया चोरी का प्रकरण

रीवा स्वतंत्रमत

मामला शहर सभाग रीवा का है जहा पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा शहर सभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के मनमानी एवं तानाशाही रवैये से उपभोक्ता परेशान है चाहे मामला बिजली कनेक्शन का हो, खराब मीटर बदलना हो, बन्द मीटर पर 2500 रुपये प्रतिमाह बिलिंग करना या ओवर बिल का मामला हो, आये दिन मामले सामने आते रहते हैं लेकिन किसी मामले पर न ही कोई जांच एवं न ही कार्यवाही होती है।

जबकि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा है कि प्रदेश की जनता को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय सीमा पर देने को प्रतिबद्ध है। जिसके लिए सरकार ने अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति करती है और उन्हें अच्छा खासा वेतन भी देती है इसके बाद भी वो ईमानदारी से कार्य न करके नजराने की चाह मे लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक मामला मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रीवा शहर सभाग अमहिया से प्रकाश में आया है कि बिजली विभाग के जेई के कारगुजारी के चलते भारतीय सेना के सैनिक को बिजली का कनेक्शन इसलिये नहीं मिल पाया कि सैनिक ने



जई और लाइन मैन को रिश्तत नही दी। जिसके लिए सैनिक और उनकी पत्नी कनेक्शन के लिए 6 माह से कार्यालय का चक्कर लगा रही है और जेई कानून का पाठ पढ़ता रहा। बताया जाता है कि भारतीय सेना में पदस्थ सैनिक अमरुद्ध तिवारी का मकान सामान थाना क्षेत्र के बेलौहन टोला में बना हुआ है जिसके लिए उन्होंने कनेक्शन हेतु दिनका 1 जनवरी 2025 को आवेदन दिया था जिसमे उपभोक्ता द्वारा 3871 रुपये सिक्वोरटी मनी जमा किया गया। इसके बाद कनिष्ठ यंत्री संजय सिंह और लाइन मैन सुमित पाण्डेय द्वारा कहा गया कि मीटर के लिये 10 हजार रुपये लगेगे यदि नही दोगे तो कनेक्शन नही होगा क्योंकि खंभे से घर की दूरी ज्यादा है ऐसा पीडित ने आरोप लगाया है। इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को एक खंभे के लिए इस्टीमेट 895340 रुपये का बनाया गया जिसका सुपरबीजन एमाउन्ट 3337 रुपये भी 27 अप्रैल को बिजली विभाग के खाते मे जमा कर दिया गया तब उक्त जेई में कहा कि इस्टीमेन्ट पास

कराने के लिये 15000 रुपये लॉगेंगे पैसे नही देने पर जेई ने आईडी रोककर इस्टीमेन्ट अफ्कव नही किया गया। तब सैनिक ने अस्थायी कनेक्शन की मांग की तो लाइन मैन सुमित पांडेय ने कहा कि 1500 रुपये प्रतिमाह देते जाओ हम जेई साहब से बात कर लिए है कुछ नही होगा उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। इसके बाद 1500 के एवज में बिजली जलती रही और कनेक्शन में आनाकानी की जा रही थी बाद में मामला जैसे ही समाचार पत्र में पहुंचा बौखलाए जेई संजय सिंह और सुमित पांडेय ने घर पहुंच कर चोरी का प्रकरण बनवा दिए और नोटिस जारी किया गया। उक्त मामले के सम्बंध में पीडित व्यक्ति ने बताया है है कि बिजली चोरी तो मैंने किया नही उनके कहने के अनुसार सेक्वोरटी मनी, सुपरबीजन राशि भी जमा किये है। जेई और लाइनमैन के कहने पर 1500 रुपये हर देता रहा कि इस माह कनेक्शन हो जाएगा लेकिन रिश्तत की राशि नही देने पर कलेक्शन तो नही मिला बल्कि उल्टा चोरी का प्रकरण बना दिया गया। जिसकी शिकायत बिजली विभाग के सीएमडी एवं मुख्य महाप्रबंधक से की है यदि इसके बाद भी हमे न्याय नहीं मिलता तो माननीय न्यायालय के शरण में जायेगे।

उक्त मामले की जानकारी कार्यपालन अभियंता नरेन्द्र मिश्रा को भी है परन्तु वो भी जानकर अनजान बने हुये है। पीडित सैनिक ने रीवा के मुख्य अभियंता एवं कलेक्टर रीवा का ध्यान आकृष्ट कराते हुये सही जांच कर दोषी जेई और लाइन मैन पर कार्यवाही की मांग की है। ताकि अन्य उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

तराई क्षेत्र का लुकेश्वरनाथ मुनीराजन महादेव धाम श्रद्धालुओं की पहली पसंद

श्रावण मास में भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की लगती है भीड़

जवा, स्वतंत्रमत। रीवा जिले के तराई क्षेत्र जवा अंतर्गत लूक ग्राम पंचायत और भगिनावा ग्राम पंचायत के बीचोबीच ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और जंगलों में स्थित प्राचीन भगवान भोलेनाथ, श्री गणेश जी, माता दुर्गा और संकटमोचन भगवान बजरंगबली जी का मंदिर है इन सबके बीच अलौकिक सौंदर्य वृहद तालाब और पहाड़ों में झरना है जहा की अलौकिक सुंदरता, हरे भरे जंगलों के बीच पक्षियों की कौतूहल जंगली जानवरों की हलचल दृश्य को मनमोहक बना देती है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते है यह ऐसा स्थान है कि इस स्थान को हर ऋतु में देखा जा सकता है जो देखने लायक होता है इसी जंगल के मंदिर के पास ऊंचे पहाड़ी पर भी एक मंदिर है जहा पर सभी लोगों के लिए मुश्किल है लेकिन वहां से नजारा किसी हिल स्टेशन से कम नही लगता है। जिसे देखते हुए लुकेश्वरनाथ धार्मिक सेवा संस्थान के संशुक् व समाजसेवी बीड़ी पांडेय,करुणेश प्रसाद मिश्रा, गुड्डु मिश्रा सहित कई समाजसेवियों ने लुकेश्वरनाथ मंदिर परिसर को



दृरिस्ट स्थान घोषित कराने की शासन प्रशासन से मांग की है ताकि देश विदेश से लोग आए और यहाँ के अद्भुत नजारा को देखकर आनंद उठाये। बता दे कि यहा पर 12 माह भक्तगणों के द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन एवं रामचरित मानस का पाठ व नमः शिवाय का जाप किया जाता है जिनके मधुर स्वर से पूरा परिसर भक्तमय हो जाता है। जहा पर लुकेश्वरनाथ धार्मिक सेवा संस्थान के तत्वाधान में गत वर्ष की भांति श्रावण मास में लुकेश्वरनाथ मुनिराजन महादेव मंदिर में अनवरत चलने वाला नमः शिवाय का जाप इस वर्ष भी दिनांक 11 जुलाई से प्रारंभ किया गया है।

बिना सूचना के कार्यालय से गायब रहते हैं अधिकारी

12 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम का मामला

रीवा, स्वतंत्रमत। रीवा में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिह्नित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर 6 अधिकारियों को नोटिस दिया गया है। ये नोटिस कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लापरवाही पर जारी किया गया है। इसी तरह कंट्रोल रूम में तैनात 6 कर्मचारियों को भी नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिह्नित सेवाएं समय सीमा में उपलब्ध न कराने पर 6 अधिकारियों को नोटिस का तीन दिन में संतोषजनक जवाब न मिलने पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने सीएमओ गोविंदगढ़ को जन्म प्रमाण पत्र न देने और सिविल सर्जन डॉ प्रतिभा मिश्रा को आवेदक की आयु का चिकित्सकीय सत्यापन न करने पर नोटिस दिया है। कलेक्टर ने सीएमओ सेमरिया सुषमा मिश्रा को समय सीमा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी न करने और सीएमओ त्योंथर अजय कुमार पाण्डेय को राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि जारी न करने पर नोटिस दिया है। जेई सिया तिवारी को मीटर संबंधी शिकायत का निराकरण न करने और सीएमओ मनगवां हेमंत त्रिपाठी को समय पर नल कनेक्शन न देने पर नोटिस दिया है। बताया कि तीन दिन को कारण बताओ नोटिस दिया। नल कनेक्शन न देने पर नोटिस दिया है। बताया कि तीन दिन में नोटिस का जवाब न देने पर वेतन रोकने और अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह

कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कंट्रोल रूम में तैनात होने के आदेश का उल्लंघन करने पर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने 6 अन्य कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस दिया है।

इनके द्वारा कंट्रोल रूम में उपस्थिति न देकर आदेश की अवहेलना करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत नोटिस दिया गया है। कलेक्टर ने सहायक मानचित्रकार घनश्याम शुक्ला, सहायक ग्रेड तीन पवन चौधरी, फोटोकोपियर रामचन्द्र प्रसाद, चैनमैन चन्द्रमणि सेन, सहायक वर्ग तीन मयंक पटेल और अनुरेखक कृष्णधर द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस दिया है। बताया गया कि नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने और 24 घंटे की समय सीमा में उपस्थित न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

श्रावण मास की शुरुआत पर शिव मंदिर पहुंचे भक्त

मऊगंज, स्वतंत्रमत। मऊगंज के प्राचीन देवतालाब शिव मंदिर में श्रावण मास का पहला दिन श्रद्धालुओं की भीड़ से शुरू हुआ। सुबह से ही मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान रहा। बारिश होने के बावजूद दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ, कर्ण छेदन और सत्यनारायण कथा के धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। प्रशासन ने मेले की सुरक्षा के लिए कड़े प्रबंध किए। 150 पुलिसकर्मियों को तैनाती की गई। 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। सिविल डेस में भी जवान मौजूद रहे। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए नईगढ़ी, मऊगंज और रीवा मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था की गई।



देवतालाब में हर हर महादेव के जयघोष गूंजे, मुंडन, कर्ण छेदन संस्कार किए



जिले का एक मात्र सर्वसुविधायुक्त अस्पताल
बिसेन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल
 अब सिवनी में भी नागपुर जैसी सुविधा
 24 घंटे आपकी सेवा में यहाँ पर सभी ऑपरेशन और भर्ती मुफ्त में
 आयुष्मान योजना के तहत उपलब्ध कराई जाती है। आयुष्मान कार्ड धारकों के
 लिए यह सुविधा केन्द्र शासन के दिशा निर्देश के तहत दी जा रही है।
प.पी. बंगला रोड, बारापत्थर सिवनी 6266248010, 9174594814